

२०-५
२५

पत्रावली बेशर्त वकील पार्टी न पत्रावली
में आदेशिका घड Modelरक करती
दुयै निकैडन किया कि पार्टी
उच्च प्रकार में आगे कोई कार्यवाही

नहीं चाहता है। अतः प्रकरण को खारिज
किया जावे। अतः न्यायद्वि में प्रार्थी वकील
के निवेदन पर 130/1995 के आधार पर
प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 212
वगैरे खारिज किया जा रहा है। पत्रावली
फैलम सुमार होकर नम्बर 10 सुमार होकर
दाखिल दफ्तर है।

Dames

उपस्थान अधिकारी
बेतारामगढ़ (सीकर)